न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 90/2014

1 अयुब पुत्र हनीफ जाति काजी मुसलमान निवासी ग्राम डूडवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 अब्दुल रहमान पुत्र सरवर खां जाति मुसलमान काजी निवासी खीरवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 लतीफ पुत्र नोसेरा।
3 रफीक पुत्र नोसेरा।
4 फारूक पुत्र नोसेरा।
5 अनवर हुसैन पुत्र नोसेरा।
6 अलहमदा पत्नी नोसेरा।
7 तूफेल पुत्र सिराजू।
8 अलमदो पत्नी मोहम्मद नसीर खां।
9 मोहम्मद हनीफ पुत्र सिराजूदी समस्त जाति मुसलमान निवासीगण डूडवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10 संदीप कुमार पुत्र रिछपाल सिंह जाति जाट निवासी पीपली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
11 महबूब अली पुत्र इब्राहीम।
12 फारूक पुत्र बशीर खां।
13 मोहम्मद अयुब पुत्र बशीर खां।
14 इस्लाम बानो पत्नी लियाकत अली।
15 इशरत बानो पत्नी मोहम्मद शकील।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

16 गुलाम हसन पुत्र आलमशेर समस्त जाति मुसलमान पठान निवासीगण खीरवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
17 हल्का पटवारी ग्राम डूडवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
18 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जरिये भूमिधारक राजस्थान राज्य।
19 उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर उनवानी दावा अयुब बनाम अब्दुल रहमान आदि मुकदमा नम्बर 191/2012 जिसके तहत अपीलांट का दावा खारिज किया गया

उपस्थिति :

1. श्री कैलाश सोनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पवन कुमार पारिक, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 04.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 191/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 10.06.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 14/2 वाके ग्राम डूडवा तहसील लक्ष्मणगढ़

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

जिला सीकर बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इसके विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि दौराने अपील दिनांक 26.10.2017 को रेस्पोडेंट संख्या 7 तुफेल की मृत्यु की सूचना रेस्पोडेंट द्वारा न्यायालय को दिनांक 16.07.2018 को दी जा चुकी थी। इसके उपरान्त आज दिनांक तक अपीलांट द्वारा न तो कायम मुकाम आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं न ही अबैटमेंट निरस्त कर रेस्पोडेंट संख्या 7 का नाम हजफ करने का आवेदन पेश किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपील अबैट करने का आवेदन प्रस्तुत करने पर अपीलांट की और से आवेदन प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट संख्या 7 का नाम हजफ करने का आवेदन प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है। विधि अनुसार अपील अबैट हो चुकी है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में ए.आई.आर. 2014 पटना पेज 148 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया। अत अपील खारिज की जावें।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट ने गलत एंव निराधार आवेदन पेश किया है मूल दावा स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसकी अपील विचाराधीन है। रेस्पोडेंट संख्या 7 के विरूद्व अपीलांट कोई सहायता नही चाहते है। अत रेस्पोडेंट संख्या 7 का नाम हजफ किया जाकर रेस्पोडेंट का आवेदन खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दौराने अपील दिनांक 26.10.2017 को रेस्पोडेंट संख्या 7 तुफेल की मृत्यु की सूचना रेस्पोडेंट द्वारा न्यायालय को दिनांक 16.07.2018 को दी जा चुकी थी। इसके उपरान्त आज दिनांक तक अपीलांट द्वारा न तो कायम मुकाम आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं न ही अबैटमेंट निरस्त कर रेस्पोडेंट संख्या 7 का नाम हजफ करने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

का आवेदन पेश किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपील अबैट करने का आवेदन प्रस्तुत करने पर अपीलांट की और से आवेदन प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट संख्या 7 का नाम हजफ करने का आवेदन प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है। विधि अनुसार अपील अबैट हो चुकी है क्योंकि अपीलांट ने निर्धारित अवधि में कायम मुकाम का आवेदन पेश नही किया है, अपील अबैटमेंट निरस्त का भी कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अबैट होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर